अनुदान संख्या 74 – पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय
GRANT No. 74 - MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	42440,78,00			
			43834,55,00	42240,63,65	-1593,91,35
पूरक	Supplementary	1393,77,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				43,41,87
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-		1667,31,00	571,59,46	-1095,71,54
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				1095,71,54

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (₹159391.35 लाख) नवम्बर, 2019 और मार्च, 2020 में प्राप्त किए गए ₹139377.00 लाख के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं जो कुल स्वीकृत प्रावधान का 4 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत हुईं/हुआः–

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (₹159391.35 lakhs) exceeded the supplementary grant of ₹139377.00 lakhs obtained in November, 2019 and March, 2020 and constituted 4 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "2802"	Major Head "2802"				
पेट्रोलियम	Petroleum				
मू.	O.	4018865.00			
पू.	S.	139377.00	4153898.57	3998687.57	-155211.00
पु.	R.	-4343.43			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601"	Major Head "3601"				
राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	221300.00	221931.36	221931.36	..
पु.	R.	631.36			

(I) ₹4987.00 लाख का प्रावधान सात शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹3787.00 लाख मुख्य शीर्ष "2802" – "तेल और गैस की रिफाइनिंग और विपणन – तेल का विपणन – प्रधानमंत्री जी – वन योजना" के अंतर्गत तौर–तरीकों को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से स्कीम को शुरू न किए जाने के कारण अकेले लेखाबद्ध किए गए हैं।

(I) Provision of ₹4987.00 lakhs remained wholly unutilised under seven heads; of these, ₹3787.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2802" - "Refining and Marketing of Oil and Gas - Marketing of Oil - Pradhan Mantri JI-VAN Yojana" - due to non-taking off of scheme owing to non-finalisation of modalities.

(II) मुख्य शीर्ष "2802" – "तेल और गैस का रिफाइनिंग और विपणन – अन्य व्यय – भारतीय गैस प्राधिकरण– फूलपूर धारमरा हल्दिया पाईपलाइन परियोजना"– ₹275871.00 लाख के मूल प्रावधान का ₹34551.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर ₹310422.00 लाख कर दिया गया, तथापि, जो ₹155211.00 लाख की बचत (पूरक अनुदान सहित) – केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि के बीई 2019–20 के समय मांग न किए जाने के कारण। स्कीम की कुल राशि ₹2758.71 करोड़ (1552.11 + 1206.60 सीआरआईएफ) रखी गई थी और पूरक अनुदान मांगों के द्वितीय बैच के जरिए ₹345.51 करोड़ की अतिरिक्त राशि मुहैया कराई गई थी।

(II) Under Major Head "2802" - "Refining and Marketing of Oil and Gas - Other Expenditure - Gas Authority of India - Phulpur Dhamra Haldia Pipeline Project" - the original provision of ₹275871.00 lakhs was augmented to ₹310422.00 lakhs by obtaining supplementary grant of ₹34551.00 lakhs. However, there was a saving of ₹155211.00 lakhs (including supplementary grant) - due to Central Road Infrastructure Fund not demanded at the time of BE 2019-20. The total amount of the scheme was kept as ₹2758.71 crore (1552.11 + 1206.60 CRIF) and additional amount of ₹345.51 crore was provided by the Budget through Second Batch of Supplementary Demand for Grants.

(III) मुख्य शीर्ष "2802" – सामान्य बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अन्तर्गत हुईः–

(III) Under Major Head "2802" - "General" - savings occurred under the following heads:-

(का) विपणन कंपनियों को सहायिकी–

(A) "Subsidy to Oil Marketing Companies" -

(क) "पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देय अन्य सहायिकी (घरेलू प्राकृतिक गैस)" – ₹3090.00 लाख की बचत (₹67400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कम व्यवहार्य प्रस्तावों की प्राप्ति होने के कारण हुई।

(ख) "डीबीटी केरोसिन"– ₹3771.96 लाख की बचत (₹14648.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों से कम प्रत्युत्तर प्राप्त होने के कारण हुई।

(a) "Other Subsidies payable including NE Region (Domestic Natural Gas)" - saving of ₹3090.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹67400.00 lakhs) was due to less receipt of viable proposals.

(b) "DBT for Kerosene" - saving of ₹3771.96 lakhs (against the sanctioned provision of ₹14684.00 lakhs) was due to less response from States.

(खा) "स्वायत्त निकायों को सहायता– भारतीय पेट्रोलियम ऊर्जा संस्थान की स्थापना, विशाखपत्तनम – ₹954.00 लाख की बचत (₹3182.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) चालू कार्य की धीमी गति से होने के कारण हुई।

(B) "Assistance to Autonomous Bodies - Setting up of Indian Institute of Petroleum Energy (IIPE), Visakhapatnam" - saving of ₹954.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹3182.00 lakhs) was due to slow pace of ongoing work.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹7950.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि मुख्य शीर्ष "2802"– "सामान्य" – के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹39377.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद का पहले ही सूचित कर दिया गया था :–

2.(I) The above savings were partly (₹7950.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of ₹39377.00 lakhs under Major Head "2802" - "General" - under the following heads:-

(का) "तेल विपणन कंपनियों को सहायिकी– एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹6341.00 लाख।

(A) "Subsidies to Oil Marketing Companies - DBT for LPG" - ₹6341.00 lakhs.

(खा) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना – एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹1060.00 लाख।

(B) "Special Component Plan for Scheduled Castes - DBT for LPG" - ₹1060.00 lakhs.

(गा) "जन जातीय क्षेत्र उप योजना–एलपीजी के लिए डीबीटी" – ₹549.00 लाख।

(C) "Tribal Area Sub-Plan - DBT for LPG" - ₹549.00 lakhs.

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "3601" – "राज्यों को अन्य अंतरण/अनुदान – विशेष सहायता – राज्य सरकारों को रॉयल्टी अंतर का भुगतान" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गई – ₹831.36 लाख का अधिक व्यय (₹195400.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गुजरात और अरूणाचल प्रदेश राज्य सरकारों को वार्षिक रॉयल्टी अंतर का भुगतान के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3601" - "Other Transfer/Grants to States - Special Assistance - Payment of Differential Royalty to State Governments" - excess of ₹831.36 lakhs (against the sanctioned provision of ₹195400.00 lakhs) was due to yearly differential royalty payable to State Governments of Gujarat and Arunachal Pradesh.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईः–

3. In the capital section of the grant, savings occurred under following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
			(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)		
मुख्य शीर्ष "4802"	Major Head "4802"				
पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	Capital Outlay on Petroleum				
मू.	O.	162526.00	52954.46	52954.46	..
पु.	R.	-109571.54			

(I) ₹200.00 लाख का प्रावधान एक शीर्ष के अन्तर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा और अंततः अभ्यर्पित किया गया।

(I) Provision of ₹200.00 lakhs remained wholly unutilised under one head and was eventually surrendered.

(II) "कच्चे तेल और गैस की खोज और उत्पादन – अन्य व्यय – राष्ट्रीय भूकंपीय कार्यक्रम" – ₹109371.54 लाख की बचत (₹162326.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दुर्गम क्षेत्रों के सर्वेक्षण में कठिनाईयों के कारण निधियों का कम उपयोग किए जाने और ऑयल इंडिया लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन से पर्याप्त प्रस्तावों की प्राप्ति न होने के कारण हुई।

(II) Under "Exploration and Production of Crude Oil and Gas - Other Expenditure - National Seismic Programme" - saving of ₹109371.54 lakhs (against the sanctioned provision of ₹162326.00 lakhs) was due to less utilisation of funds owing to difficulties in survey of in-accessible areas and non-receipt of adequate proposals from Oil India Limited and Oil and Natural Gas Corporation.